

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चन्दनसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत, निवासी झाफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अर्जनसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति राजपूत, निवासी झाफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (09)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53,188)

मुकदमा नम्बर 06 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.01.2024	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक <u>14.02.24</u> को पेश हो।</p>	
14.2.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>15.3.24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">24 सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
15.3.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के क्लेर नाभिलखुदा नोटिस पेश किये, जिते शामिल पत्रावली किना गला। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का हस्तगत होकर दिनांक <u>27.3.24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">24 सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
27.3.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक <u>6.5.24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">24 सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या  
दिनांक  
पृष्ठ संख्या

सेवा में

21.05.26

पत्रावली प्रेषण वाकुलाप उपस्थित।  
पत्रावली का भक्तोक्त किता जमा / चूंकि  
इस वार व अ-य वार संख्या 153/2023  
में समाप्त खसरा नम्बर में समाप्त भक्तोक्त  
चाहा जमा है। अतः एक ही समाप्त  
खसरा नम्बर में बंटाया हेतु समाप्त  
भक्तोक्त में दो अलग-अलग वार  
विचारधीन होने का कोई फौजिल  
प्रतीत नहीं होता है। परमकारण द्वारा  
चाहा जमा भक्तोक्त एक ही वार से  
प्राप्त किया जा सकता है। लिहाजा वार  
बहुलता कम करने तथा इम्त वार  
के पश्चातवर्ती प्रेषण होने पर इम्त  
वार इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है।

पत्रावली नम्बर से कट होकर  
दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मर)